

**विक्रय की उद्घोषणा**

(देखिये नियम 29 व 54)

न्यायालय कलक्टर/सहायक खनि अभियन्ता (वसूली) खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरु (राज.)।  
क्रमांक:-स.ख.अ./चूरु/भू-राजस्व/2024-25/ 2

दिनांक:-03.05.2024

नोटिस-

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230/235/237) के अधीन चूक करने वाले सर्वश्री रणधीसर स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० स्व. ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव निवासी रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिए संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिए इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दी गई है। विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पत्ति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय 1. श्री अर्जुनराम खनिकार्यदेशक-1 (अधिकारी का नाम) के द्वारा दिनांक 21.05.2024 को बजे प्रातः 11.00...स्थान खसरा सं. 781/997 ग्राम पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु में किया जावेगा तथापि किसी भी लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

**विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-**

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट चूरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं। परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जावेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी, बोली की रकम या बोली लगाने के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे ऊंची बोली को मंजूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात् चूका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिये तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।  
(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिससे वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।  
(ग) अनुमत अवधि में क्रय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या रकम के ऐसे किसी भाग पर उसके लिये फिर से बेची जाये समस्त हक खो बैठेगा।  
(घ) यदि अनन्त किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।
7. (क) भूमि समस्त भारों (Encumbrances) से मुक्त बेची जावेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलामी द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।  
(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिए लागू नहीं होगा जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये या अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।  
(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य (राजस्थान) के किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके माफ्त में भूमि धारक भी समय निर्देश दे सकती है उस भूमि के धारक को विक्रय के लिये मंजूर किया जायेगा और भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि धारक के विक्रय के लिये मंजूर किया जायेगा।  
(घ) विक्रय के लिये मंजूर किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।

**Signature valid**

Digitally signed by Assistant Mining Engineer  
Date: 2024.05.03 16:17:17 IST  
Reason: Approved

अनुसूची  
वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम राशि रु. 1,77,01,548/- एवं ब्याज नियमानुसार
  2. कुर्की का खर्चा
  3. विक्रय का, यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई तो आमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा- नियमानुसार
- योग- राशि रु. 1,77,01,548/- एवं नियमानुसार ब्याज

बेची जाने वाली सम्पत्ति

समूहों की सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये) राज. एक्ट 1956 की धारा 236 की उपधारा (3)	दावे यदि कोई जो कि सम्पत्ति के संबंध में रखे गये हों व उसकी किस्म तथा मूल्य के संबंध में कोई भी ज्ञात विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नि. ग्रा. पड़िहारा पटवार हल्का पड़िहारा तहसील रतनगढ़ कुल रक्बा- 0.4047 है०	1. खाता सं. नया 54 खसरा सं. 781/997 क्षेत्रफल 0.4047 है०		हैक्टेयर	स्वयं के नाम

आज दिनांक ..03..माह..05..वर्ष .2024....को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई।

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
चूरु (राज.)।  
दिनांक:-03.05.2024

क्रमांक:-सम/03-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु (राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार, रतनगढ़ ।
3. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ़।
4. श्रीमान् थानाधिकारी रतनगढ़ को भेजकर निवेदन है कि बाकीदार को नोटिस तामिल करवाने का श्रम करावें।
5. हल्का पटवारी, पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
6. नीलामी अधिकारी श्री अर्जुनराम खनि कार्यदेशक-II।
7. बाकीदार सर्वश्री रणधीसर स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव निवासी रणधीसर पहाड़ी, तह. सुजानगढ़ जिला चूरु को द्वारा थानाधिकारी रतनगढ़।
8. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

RajKaj Ref  
6967300

**Signature valid**

Digitally signed by Narsing Lal Meghwal  
Designation : Assistant Mining Engineer  
Date: 2024.05.03 16:24:17 IST  
Reason: Approved